


फर्द अहकाम

मैथराज बनाम प्रभाती बगौ

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 46/2025 T-I

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/7/25  Not present Bulky <del>24/7/25</del>	पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपस्थित। वकील शर्मा ने प्र. पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा को आगे नहीं फलकर नोटिस अंकित कर खारिज किचे जाने का निवेदन किचा। वकील शर्मा द्वारा नोटिस किचे जाने के आधार पर प्र. पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा खारिज किचा जाता है। पत्रावली कुलल शुमार होकर दर्ज नं. स कुम ध दारिपल फलर रहे।  

उपखण्ड अधिकारी  
फागी